

प्रेषिका,

पूनम सिंघल,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-6, मुरादाबाद ।

सेवा में,

अपर निदेशक,
सिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय उ० प्र०,
नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद ।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद ।

विषय – विधि स्नातकोत्तर (एल०एल०एम०) की उपाधि धारक होने के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिनी ने UP HJS-2018 की परीक्षा उत्तीर्ण कर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के पद पर दिनांक 13.12.2019 को पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थी ने नियुक्ति से पूर्व ही विधि स्नातकोत्तर (एल०एल०एम०) उपाधि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से सन् 2007 में उत्तीर्ण की हुयी है, जिसकी अंकतालिका व प्रमाण पत्र **संलग्नक सं० 1, 2 व 3** के रूप में संलग्न हैं।

1. प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूलि आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2002 के अनपालन में उ०प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को शासन के आदेश सं 1363/2-4-2009-45(12)/91 टीसी दिनांक 13 मई 2009 तथा सपठित शासन के पत्र सं 1705/2-4-2011-45(12)/91 टीसी दिनांक 13.01.2013 द्वारा मा० शेड्यूलि आयोग की संस्तुति को दिनांक 21.03.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ०प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान की गयी थीं।
2. इसी प्रकार रिट याचिका सं० सी० 19/2012 भरत कुमार शान्तिलाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2014 के क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15.11.2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21.03.2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एल०एल०एम०) धारित करने वाले उ०प्र० न्यायिक सेवा एवं उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भती) के अधिकारियों को भी शासन के आदेश सं० 2/2015/355/2-4/2015-45(12)/91 टीसी दिनांक 27.03.2015 (**संलग्नक 4**) द्वारा 03 अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था ।

प्रार्थिनी उपरोक्त शासनादेशों के आधार पर तीन अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त करने हेतु योग्य है ।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि विधि स्नातकोत्तर (एल०एल०एम०) की उपाधि धारक होने के आधार पर दिनांक 13.12.2019 से मेरे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगायी भत्ता नवीन वेतन पर्ची निर्गत करने का कष्ट करें।

सादर।

दिनांक- 06.01.2021

भवदीय,
Poonam Singh
(पूनम सिंघल) 06/01/2021

(J.O. Code- UP2684)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-6, मुरादाबाद।

संलग्नक:-

- 1-एल०एल०एम० की प्रथम वर्ष की अंकतालिका की प्रतिलिपि।
- 2-एल०एल०एम० की अंतिम वर्ष की अंकतालिका की प्रतिलिपि।
- 3-एम०एल०एम० की डिग्री की प्रतिलिपि।
- 4-शासनादेश सं० 2/2015/355/2-4/2015-45 (12)/91 टीसी दिनांक 27.03.2015 की प्रतिलिपि।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश मुरादाबाद।

पत्रांक- /2020 (प्रशा०) मुरादाबाद दिनांक:

अग्रसारित,

अपर निदेशक,
सिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय उ०प्र०,
नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।